फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर(भीलवाडा)

रामकुवार पिता श्रवण मीणा नि. गाडोली

बनाम

सन्तकुमार पिता हरनाथ मीणा नि. गाडोली वगैराह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 376 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
17 .05.23	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम गाडोली प. ह. गाडोली तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1092, 886, 992/3 कुल किता 3 रकबा 0.8208 हैक्टेयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावलो के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम गाडोली प. ह. गाडोली तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1092, 886, 992/3 कुल किता 3 रकबा 0.8208 हैक्टेयर** की उभय पक्षों की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 17.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी,** **जहाजपुर (भीलवाडा)**	

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक / रीडर / 2023 / 376 / 2023 दिनांक :– 17.05.2023

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. स. 85/23 अनवान रामकुवार पिता श्रवण जाति मीणा निवासी गाड़ोली जहाजपुर बनाम सन्तकुमार पिता हरनाथ मीणा, रामचन्द्र पिता हरनाथ मीणा, भॅवरलाल पिता हजारी मीणा, रतनलाल पिता हजारी मीणा, यादराम पिता केसराराम मीणा, बंशी पिता माधू जाति मीणा, शिवलाल पिता माधू जाति मीणा, ओमवीर पिता रघुनाथ जाति मीणा, किशन पिता रामचन्द्र जाति मीणा, गोपाल पिता रामचन्द्र जाति मीणा, रामकुमार पिता रामचन्द्र जाति मीणा, गणपत पिता रामचन्द्र जाति मीणा, सोहन पिता गंगाराम जाति मीणा, लोकेश पिता प्रेमचन्द्र जाति मीणा, मोहनलाल पिता छोटू जाति मीणा, उगमा पिता लादू जाति मीणा, बिहारी पिता गंगाराम जाति मीणा, धर्मराम पिता बंशी जाति मीणा, केलाराम पिता कल्याण जाति मीणा, तेजमल पिता कल्याण जाति मीणा, नन्दा पिता शारदा जाति मीणा, छगा पिता भुवाना जाति मीणा, नन्दकिशोर पिता कल्याण जाति मीणा, लक्ष्मीनारायण पिता कल्याण जाति मीणा, गम्भीर पिता कल्याण जाति मीणा, हनमत पिता कल्याण जाति मीणा, कमला पिता श्रवण पत्नि खाना मीणा, नौरत पिता रामसुख जाति मीणा, मनभर पत्नि रामसुख जाति मीणा, रामदयाल पिता श्रवण जाति मीणा निवासी गाडोली वगैराह वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में **ग्राम गाडोली प. ह. गाडोली तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1092, 886, 992/3 कुल किता 3 रकबा 0.8208 हैक्टेयर** भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)